कार्यालय मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
ग्रामीण निर्माण विभाग,
तपोवन मार्ग, रायपुर रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
E-mail- hod.res.uk@gmailcom, Ph. No. 2780290 Website www.res.uk.gov.in

पत्रांक 903 /ग्रा0नि0वि/कनिष्ट/अ0स0अ0(सि0)/स्थानान्तरण/2024–25 दिनांक 19.07.2024

(स्थानान्तरण आदेश)

लोक सेवकों के लिये उत्तराखण्ड स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों एवं शासनादेश संख्या–120990/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023, शासनादेश संख्या–120994/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 10.05.2023, शासनादेश संख्या–198739/2023/XXX(2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 एंव 221278 दिनांक 28.06.2024 के तहत स्थानान्तरण निर्धारित की गयी अधिकतम सीमा के अन्तर्गत विभागीय स्थानान्तरण समिति द्वारा संस्तुति के आधार पर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित विवरण के अनुसार किया जाता है।

क्र0सं0	कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नव तैनाती स्थल	अन्य विवरण
1	श्री राहूल नेगी	प्रखण्ड चमोली	प्रखण्ड उत्तरकाशी	धारा 17–1–(ख)–(छः) के अन्तर्गत
2	श्री सन्दीप राय	प्रखण्ड रूद्रप्रयाग	प्रखण्ड कोटद्वार (दुर्गम)	धारा 17–1–(ख)–(छः) के अन्तर्गत
3	श्री सुखदेव सिंह	प्रखण्ड पौड़ी	प्रखण्ड उत्तरकाशी	धारा 17–1–(ख)–(छः) के अन्तर्गत
4	श्री लक्ष्मण राम	पी0एम0जी0एस0वाई0कपकोट (बागेश्वर)	प्रखण्ड नैनीताल (दुर्गम)	धारा 17–1–(ख)–(छः) के अन्तर्गत

1– स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 (11) एवं (12) के अनुसार उपरोक्त स्थानान्तरित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यभार ग्रहण अवधि (ज्वाइनिंग टाइम) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। वर्तमान तैनाती से कार्यमुक्त उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपयोग कर सकेंगें। उक्त धारा के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यमुक्त होने की अन्तिम तिथि 25.07.2024 तथा स्थानान्तरित कार्मिकों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 28.07.2024 होगी।

2– स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(2) के क्रम में स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3– स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(3) के क्रम में नव तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

4– स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22(4) के क्रम में यदि उक्त स्थानान्तरण आदेश में किसी प्रकार की सारगर्भित/टंकण त्रुटि हो तो आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर उच्चाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

5– धारा–25 के अन्तर्गत पटल के महत्वपूर्ण प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार टिप्पणी बनाया जाना आवश्यक होगा।

6– **प्रखण्ड के अन्तर्गत कार्मिकों के कार्यभार वितरण के समय जिन कार्मिकों का दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण किया गया है, उन कार्मिकों को सुगम क्षेत्र में तैनाती न की जाये तथा जिन कार्मिकों की सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किया गया है उनको दुर्गम क्षेत्र में तैनाती न दी जाये।**

7– प्रखण्ड में कार्यरत जिन कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ताओं को एक ही विकास खण्ड में पॉच वर्ष से अधिक का कार्यकाल हो चुका है, उनका अपने स्तर से अधिनियम के अनुसार कार्य विभाजन करना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

8– शासनादेश संख्या–198739/2023/XXX (2)E-33080 दिनांक 14.03.2024 के अनुसार क्रमांक 03 से 06 पर अंकित कार्मिकों का स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9– स्थानान्तरित कार्मिकों को गृह तहसील/उपखण्ड में तैनात नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अपर सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) ग्रामीण निर्माण विभाग, भीमताल (नैनीताल)।
3– अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।
4– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/कोटद्वार/नैनीताल।
5– जिलाधिकारी उत्तरकाशी/नैनीताल।
6– मुख्य विकास अधिकारी, उत्तकाशी/नैनीताल।
7– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरकाशी/कोटद्वार/नैनीताल।
8– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, उत्तरकाशी/कोटद्वार/नैनीताल।
9– महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
10– व्यक्तिगत पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्र बन्ध।
11– विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

19/7/24

मुख्य अभियन्ता (स्तर–1),
ग्रामीण निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

Scanned with OKEN Scanner